

तहसीलदार
कठुमार अलवर राज

न्यायालय तहसीलदार कठुमार (अलवर) राज.

संख्या 91/RAC ता. 20/10/2024

प्रकरण संख्या 2/2021/RA

निर्णय दिनांक - 30/11/2024

प्रकरण संख्या 1429 कुल रकम 0.20 किरम जमीन गोठ में से 0-01 ई. पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर हुआ है। इस पर पटवारी हल्का मिठवरी जाव द्वारा दिनांक 18/10/24 द्वारा दिनांक 18/10/24

उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट नय लाईव के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण वर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमण रोकना जाति जाव निवासी मिठवरी को भू-अ.निरी. अधिनियम 1966 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमण उपस्थित आया। जथा नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकम आ.ख.न. 1429 रकम 0.20 ई. में से 0.01 ई. के जो निवास नै जमा नहीं है सिहाजा औरसायम को अतिक्रमण के दोषखल किये जाने के आदेश दिये जाने हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 7 Paise का कार्य पैनल्टी आरोपित की जाती हैं माता कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे पैनल्टी वसूली एवं दोषखली हेतु हल्का पटवारी मिठवरी भू.अ.निरी. को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठुमार अलवर राज
कठुमार, अलवर (राज.)

प्रतिनिधि :- प. ड.

दि. 30/11/24 पृष्ठ 117 का. 6
2024-22

15/12/24